झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक 5204 *दिनांक* 03/9/19

सेवा में,

श्री असीम मिश्रा,
अपर महाप्रबंधक (खनन),
एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड,
पकरी बरवाडीह कोयला खनन,
परियोजना, पी0बी0सी0एम0पी0,
पगमल रोड़ हजारीबाग।

विषयः– ***वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत N.T.P.C पकरीबरवाडीह कोल माइनींग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।***

प्रसंगः– आपका पत्रांक PBCMP/2019/Forest/002 दिनांक 10.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधन नियम 2014) के तहत *N.T.P.C पकरीबरवाडीह कोल माइनींग ब्लॉक हेतु 331.198 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव* हेतु नवीन वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड कर समर्पित किया गया है, जिसका प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/38798/2019 है। प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 28.08.2019 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव को अवलोकनोंपरांत निम्नलिखित विन्दूवार त्रुटियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत् हैः–

(1) ग्राम बेलतु, के अधिसूचित वन भूमि का रकवा 3.667 हे0 दर्शाया गया है। जबकि मौजा बेलतु में 5.180 हे0 वन भूमि अपयोजन होना है। तथा मौजा– सिरमा में वन भूमि एवं जंगल–झाड़ी के रकवा भूमि विवरणी नक्शा के अनुसार एकरूपता नहीं है। जिसका सुधार किया जाय।

(2) CMPDI द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में प्रस्ताव समर्पित करता (सक्षम स्तर) का हस्ताक्षर नहीं

(3) अंचलाधिकारी द्वारा समर्पित भूमि का विवरणी एवं प्रस्ताव में संलग्न गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि की विवरण में एकरूता नहीं है।

(4) सेफ्टीजोन के बारे में स्पष्ट सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। सेफ्टीजोन क्षेत्र को रकवा का गणना करते हुए कैडस्ट्रल मानचित्र पर दर्शाया जाय।

(5) स्थल का डी.जी.पी.एस. रिर्पोट सॉफ्ट कॉपी एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा/ भूमि विवरणी में अन्तर है। जिसका एकरूपता किया जाय।

(6) विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में प्रभावित /पातन होने वाले वृक्षों की संयुक्त गणना सूची 10 हे0 क्षेत्र में प्राप्त गणना के आंकडों के आधार पर किया जाना के संबंध में दर्शाया गया है। इस संबंध में स्पष्ट सूचना ग्रामवार, प्लॉटवार, डायावार (ईंच में) संलग्न किया जाय। साथ ही गणना करने का मार्ग दर्शिका की प्रति भी संलग्न किया जाय।

(7) समर्पित प्रस्ताव के फार्म – 'A' पार्ट – I के A-2 Details of User Agency के क्रम संख्या XIII में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में भारत सरकार को समर्पित प्रस्ताओं की सूची उपलब्ध कराने से संबंधित वर्णन नहीं है।

(8) प्रस्तावित वनभूमि का संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(9) प्रस्ताव अन्तर्गत पड़ने वाले जंगल–झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(11) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक 4715 दिनांक 27.11.2018 (छाया प्रति संलग्न) आदेश के कम में प्रपत्र –1 में उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र –2 में प्रयोक्ता अभिकरण का बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा एक प्रति में समर्पित प्रस्ताव वापस करते हुए अनुरोध है कि इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल